

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 175 / प्र0अ0(त0स0-2) / जोन-1 / मु0हा0 / 2013-14 दिनांक 21 / 11 / 2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास मानचित्र (अफॉडेबुल) स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री कमला शंकर पुत्र स्व0 जगदम्बा प्रसाद, श्रीमती कपूर शुक्ला पत्नी श्री कमला शंकर द्वारा भूमिधरी आराजी संख्या-830, 841, 841MI, 842, 843, 844, 845 मौजा-उमरपुर नीवा, उपरहार परगना व तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र (अफॉडेबुल) उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति/ निर्गमन आदेश दिनांक 10-11-2015 के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 50 अड़द वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदकगण का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मूत्रक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
6. सोलर वाटर हीटींग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जाय।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 476 / STCE / 2014 दिनांक 19.03.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
8. उप निदेशक फायर सर्विस इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2014 / इला0 / 283 / सि0ला0 / 143 दिनांक 30.01.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
9. मुख्य अभियन्ता-विद्युत इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 2769 / मु0अ0(वि0)इ0क्षे0 / पी-2(मानचित्र) दिनांक 04.07.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
10. अधिशासी अभियन्ता (JNNURM) जल निगम, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्रांक : 1031 / 423 / 37 दिनांक 12.03.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

11. प्रस्तावित मानचित्र 197 आवासीय इकाईयों (179 + कम्पसेटरी 18 इकाई) के निर्माण की अनुमति हेतु है। अतिरिक्त इकाईयो का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
12. प्रस्तावित इकाई (179) के सापेक्ष 10-10% EWS/LIG श्रेणी का फ्लैट का निर्माण बाध्यकारी है। इन फ्लैटो का निर्माण आवासीय इकाईयो का निर्माण के साथ-साथ प्रारम्भ किया जाय।
13. शासनादेश संख्या-3338/8-1-11-8विधि/2010 दिनांक 26.09.2011 के प्राविधानो के क्रम में EWS-18, LIG-18 फ्लैटो का निर्माण बाध्यकारी है। प्रस्तावित फ्लैटो के निर्माण किये जाने की प्रतिभूति के रूप में इ0वि0प्रा0 के समक्ष बन्धक रखी गयी भूमि (क्षेत्रफल 1119.00 वर्गमीटर) जो दिनांक 02.11.2015 को पंजीकृत हुयी है का विक्रय/अन्तरण इत्यादि इ0वि0प्रा0 से बन्धक रखी गयी भूमि अवमुक्त होने के पश्चात् ही किया जाय।
14. निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानको पर ही किया जाना बाध्यकारी होगा।
15. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
16. यदि आवेदकगण द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्रा0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
17. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
18. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
19. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
20. आवेदकगण को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
21. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।


21/11/2018
(पुष्कर श्रीवास्तव)
विशेष कार्याधिकारी